TEN RUPEES TEN RUPEES

35

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प भोपाल

= =

प्र0क्र0 /08-09 अपील निग. अपील 898-III/09

राजेशकुमार जैन पुत्रश्रीनर्वदाप्रसाद जैन

निवासीतिलकचौक, विदिशा जिला विदिशा

....प्रत्यर्थी

बनाम

1. सविताबाई पत्निश्रीहरीनारायण

2. विनीता | दोनों ना0बा0पुत्रियां

3. आशा | हरीनारायण सर0मां

सविताबाई पत्नि हरीनारायण निवासी

राघवजीकालौनी, विदिशा

4. राजेश कुशवाह | पुत्रगण आलमसिंह कुशवाह

5. मुकेश कुशवाह | निवासी-राघवजीकालौनी

विदिशा

6. वीरेन्द्रसिंह पुत्र डम्बरसिंह जाट

निवासी-हरीपुरा, विदिशा

7. जीवनसिंह ना0बा0पुत्र उदयभानसिंह

सर0पिता उदयभानसिंह पुत्र केशवसिंहजादौन

नि0तलैयामोहल्ला, विदिशा

8. बृजेशकुमार पुत्र मनोहरलाल पंजाबी नि0

स्वर्णकारकालौनी, विदिशा

9. लोकेन्द्रसिंह पुत्र नत्थासिंह जाट निवासी

हरीपुरा, विदिशा

10. महेश सिंधवानी | पुत्रगण हेतुमल सिंधवानी

11. मनोज सिंधवानी | नि0-तिलकचौकविदिशा

12. शम्भू सिंधवानी |

13. म0प्र0शासन

...रिस्पा0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27-6-09 न्यायालय

अपरआयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल प्र0क्र0

...2

श्री सुरेशकुमार वर्मा अभि० द्वारा कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत 9/7/09

XXXIX(a)BR(H)-11

34

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 898–तीन/09

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.8.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेष का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नामांतरण कार्यवाही में इश्तहार जारी किए जाने का उल्लेख है किंतु कोई उल्लेख नहीं है । पंजी पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं है । उन्होंने यह भी पाया है कि दो विक्रेता अवयस्क होने के कारण एवं विक्रय के संबंध में सक्षम न्यायालय की अनुमति नहीं है । व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने का उल्लेख भी उन्होंने किया है तथा यह भी कहा है कि व्यवहार न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं । उक्त आधारों पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य न मानते हुए निगरानी निरस्त किया है । अपर आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह अपील अग्राह्य की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा. सदस्य	